# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 38 / 2025

1 रामकुमार पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी कुहाड़ू तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

(राज.)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956**

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 24.07.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुहाड़ू पटवार हल्का कुहाड़ू की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 136 पुराना 118 के अंन्तर्गत भूमि खसरा न0 12 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.0500 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0600 हैक्टर स्थित है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम रामकुमार पुत्र कुरड़ाराम दर्ज है जो आवेदक के पिता का नाम गल्त दर्ज है जिसकी शुद्धि हेतु उक्त प्रार्थना – पत्र सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है ।आवेदक जब ग्राम कुहाड़ू पटवार हल्का कुहाड़ू के उपरोक्त भूमि की खाता संख्या की भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड देखकर बताया कि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में पिता का नाम गल्त दर्ज है।3. यह कि आवेदक के आधार कार्ड पहचान पत्र पेन कार्ड, तथा परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता की पास बुक सभी में आवेदक का नाम रामकुमार पुत्र भूराराम दर्ज है। जबकि ग्राम कुहाड़ू पटवार हल्का कुहाड़ू की सरहद में भूमि खाता के अंन्तर्गत भूमि खसरा संख्या नया 136 पुराना 118 न० 12 रकबा 1.0100 हैक्ट खसरा नम्बर 13 रकबा 0. 0500 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0600 हैक्टर स्थित है आवेदक खसरा नम्बर 13 रकबा 0. 0500 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0600 हैक्टर स्थित है आवेद का नाम रामकुमार पुत्र कुरड़ाराम दर्ज है उक्त खाता संख्या के राजस्व रिकॉर्ड में राकुमार पु भूराराम दर्ज होना चाहिए । उक्त राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक के पिता का नाम सही नही दर्ज है के कारण आवेदक को काफी परेशानी हो रही है। आवेदक कोई भी सरकारी लाभ नही ले पा है। जिसके कारण आवेदक उक्त राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि कराने के लिए उक्त प्रार्थना – श्रीमानजी की सेवामें पेश कर रहा है ।आवेदक के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम संहव कारण गलत दर्ज हुआ है जो गलती सहंवन के कारण जिसको दुरूस्त किया जाना अति आव है। जिससे आवेदक को किसी प्रकार की परेशानी नही हो तथा आवेदक अपने सही नाम का स सुविधो का लाभ प्राप्त कर सकें ।ग्राम कुहाड़ू पटवार हल्का कुहाड़ू में प्रार्थी / आवेदक व स्थित है इसलिए प्रार्थना–पत्र सुनने का श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।अतः प्रार्थना–पत्र म पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि ग्राम कुहाड़ू पठवार हल्का कुहाड़ू की सरहद में भू संख्या नया के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 12 रकबा 1,0100 हैक्टर खसरा नम्बर 13 रकब हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0600 हैक्टर, स्थित है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक

रामकुमार पुत्र कुरड़ाराम दर्ज है के स्थान पर रामकुमार पुत्र भूराराम राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम कुहाडू के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता नः 136 में प्रार्थी का नाम रामकुमार प कुरड़ाराम दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र भूराराम है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम कुहाडू के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता नः 136 में प्रार्थी का नाम रामकुमार प कुरड़ाराम दर्ज है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम रामकुमार पुत्र भूराराम है। अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

## निर्णय

अतः ग्राम कुहाडू के खाता संख्या 136 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र कुरड़ाराम के स्थान पर रामकुमार पुत्र भूराराम कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।पालनार्थ तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

(सुरेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,